



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

## SUMMONS

फाइल सं.: NCST/ATY-614/DL/6/2022-APCR

श्री संजय अरोरा

पुलिस आयुक्त,

पुलिस आयुक्त का कार्यालय,

दिल्ली पुलिस मुख्यालय,,

जय सिंह रोड,

नई दिल्ली -110001

Email Id: [cp.sanjayarora@delhipolice.gov.in](mailto:cp.sanjayarora@delhipolice.gov.in)

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकडा के समक्ष दिनांक 10/05/2024 को 04:00 PM बजे, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबन्धित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

## मामलों का संदर्भ :-

**संदर्भ 1** पडोसी द्वारा प्रताड़ित करने, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर गाली गलौच करने, व शिकायत दर्ज करने पर धमकाने के सम्बन्ध में श्रीमती रिंकी, पत्नी श्री चेतन, 81-बी, गली नंबर 5, ऐ ब्लॉक -, अम्बिका विहार, शिव विहार, करावल नगर, दिल्ली -110094 का अभ्यावेदन

**संदर्भ 2** आयोग का नोटिस दिनांक 22.09.2022(प्रतिलिपि संलग्न)।

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 06/05/2024 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी

Court Officer

National Commission for Scheduled Tribes

Loknayak Bhawan, New Delhi-110003

मोहर

